न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 02/2021 जीसीएमएस नं.:– 2021/40

1. राजीव शर्मा 2. देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्रगण श्री रामनाथ शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम औडेला तहसील धौलपुर

---- ------------प्रार्थीगण

बनाम

राज0 राज्य जरिये तहसीलदार धौलपुर

---- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल0आर0 एक्ट0

उपस्थितिः– श्री नेमीचन्द रावत, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
पैरोकार सरकार, अप्रार्थी की ओर से

दिनांक – 24.01.2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 258 रकवा 0.4426 है0 ग्राम ताल औडेला का खातेदार काश्तकार है व काबिज है। बन्दोवस्त से पूर्व एंव पश्चात् दोनो नक्शो के अनुसार ही मौके पर खेत खसरा नम्बर 258 की स्थिति है जो सही है परन्तु वर्ष 2019 में खेतों के नक्शे की ऑनलाईन गलती के कारण बन्दोवस्त के पूर्व नक्शे से खसरा नम्बर 258 की ट्रेस सट के फट गया है उस पर टेप चुपका है टेप की फोटो की परछाई से ट्रेस में गलती हो गई है। अतः खसरा नम्बर 258 की वर्तमान आकार को शुद्ध करते हुए उसके आकार को मुताबिक शुद्ध नक्शा के किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर रिपोर्ट तहसीलदार धौलपुर से तलब की गई। तहसीलदार धौलपुर के पत्रांक 713 दिनांक 04.03.2025 से रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि ग्राम आ.ख.नं. 258 रकवा 1 बीघा 15 विस्वा है0 किस्म तालाबी में देवेन्द्र कुमार पुत्र रामनाथ हि0 1/2 जाति ब्राम्हण सा0 औडेला खातेदार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। मुताबिक राजस्व नक्शा लट्ठा व मौका जांच के अनुसार आ0ख0 नं0258 रकवा 0.4426 है0 (01 बीघा 15 विस्वा) पूरा है। मुताबिक राजस्व नक्शा शीट के आ0ख0नं0 258 रकवा 1 बीघा 04 विस्वा आ रहा है। सेटलमेन्ट द्वारा नक्शा शीट तैयार करते समय आ0ख0नं0 258 के रकवे में 01 बीघा 15 विस्वा के क्षेत्रफल से कम 01 बीघा 04 विस्वा क्षेत्रफल का खसरा नंबर बना दिया। तरमीम शीट व बन्दोवस्ती शीट जीर्ण–शीर्ण है।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी एंव पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट में भी तहसीलदार धौलपुर ने मौके पर रकवा पूर्ण होना बताया है तथा सेटलमेन्ट द्वारा नक्शा शीट तैयार करते समय आ0ख0नं0 258 के रकवे में 01 बीघा 15 के क्षेत्रफल से कम 01 बीघा 04 विस्वा क्षेत्रफल का खसरा नंबर बनाना अंकित किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्तमान नक्शा में वर्तमान आकार को शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किए जावे।

पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान तहसीलदार ~~मनियां~~ धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थी द्वारा वांछित शुद्धि के संबध में कोई आपत्ति नही की।

उभयपक्ष की बहस सुनने एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया। तहसीलदार धौलपुर ने रिपोर्ट में सेटलमेन्ट द्वारा नक्शा शीट तैयार करते समय आ0ख0नं0 258 के रकवे में कम 01 बीघा 04 विस्वा क्षेत्रफल का खसरा नंबर बना दिया। मौके पर रकवा पूर्ण बताया है।

अतः तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम ताल औडेला के आ0ख.नं0 258 रकबा 0.4426 है0 के वर्तमान नक्शा में सेटलमेन्ट के द्वारा की गई त्रुटि को शुद्ध किये जाने के आदेश दिए जाते है। परवाना तहसीलदार धौलपुर को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर